<u>राज्य सभा</u>

तारांकित प्रश्न संख्या *338

24 जुलाई, 2019 को उत्तर के लिए

इस्पात क्षेत्र में 'मेक इन इंडिया' पहल

***338. श्री टी॰ जी॰ वेंकटेशः**

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने भारतीय इस्पात क्षेत्र में 'मेक इन इंडिया' पहलों को लागू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस्पात आयातों में कटौती करने और स्वदेशी इस्पात कंपनियों के माध्यम से इस्पात निर्यातों को बढ़ावा देने तथा विदेशी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

<u>उत्तर</u>

इस्पात मंत्री **(श्री धर्मेंद्र प्रधान)**

(क) से (ग): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

"इस्पात क्षेत्र में 'मेक इन इंडिया' पहल" के बारे में श्री टी.जी. वेंकटेश, संसद सदस्य द्वारा राज्य सभा में दिनांक 24 जुलाई, 2019 के लिए पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या *338 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): घरेलू विनिर्मित लौह एवं इस्पात उत्पाद नीति दिनांक 08 मई, 2017 को अधिसूचित की गई और बाद में इस्पात और इस्पात उत्पादों के लिए मेक-इन-इंडिया को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिनांक 29.05.2019 को इसे संशोधित किया गया। इस नीति के तहत, केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों और उनकी एजेंसियों से यह अपेक्षित है कि वे भारत में विनिर्मित इस्पात मदों को ही अनिवार्यतः खरीदें।

(ग): इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है। इस्पात के आयात को कम करने और इस्पात के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

- घरेलू विनिर्मित लौह एवं इस्पात उत्पाद नीति, 2017 को दिनांक 29.05.2019 को संशोधित किया गया। इसने संविदा के थ्रैशहोल्ड न्यूनतम मूल्य को 50 करोड़ रुपये से घटाकर 25 करोड़ रुपये कर दिया। अब इस नीति की परिधि में अन्य चीजों के अलावा इंजीनियरिंग, प्रापण और निर्माण (ईपीसी) संविदाएं भी शामिल हैं जिससे घरेलू विनिर्मित सामान की खपत को बढ़ावा मिला है और आयात में कमी आई है।
- सरकार ने 53 इस्पात और इस्पात उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश अधिसूचित किया है जो घरेलू उत्पादन के साथ-साथ आयात पर भी लागू है। इस्पात गुणवत्ता नियंत्रण आदेश मानव, पशु और वनस्पति संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा, अनुचित व्यापार पद्धतियों से बचाव और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जनहित में कार्यान्वित किया गया है।
- घरेलू उद्योग को अनुचित बाहरी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए एंटी-डंपिंग शुल्क और प्रतिकारी शुल्क लगाने जैसे उपयुक्त व्यापारिक उपाय किए गए हैं।
- सरकार के पास निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई स्कीमें हैं, जैसे कि विदेश व्यापार नीति 2015-20, एमईआईएस, बाजार तक पहुँच के लिए पहल आदि।

****